न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 28/2021 G.C.M.S. No. 2021/489 दर्ज दिनांक : 26.11.2021

अपीलार्थिगणः

1. सरूप सिंह पुत्र कान सिंह, जाति राव, निवासी बुटडी, तहसील रेवदर जिला सिरोही
   1/1. पवनी कवंर बेवा पत्नी सरूप सिंह
   1/2 नरपत सिंह पुत्र सरूप सिंह
   1/3 पूरण सिंह पुत्र सरूप सिंह
   1/4. जब्बर सिंह पुत्र सरूप सिंह
   1/5. श्रवण सिंह पुत्र सरूप सिंह
   1/6. जालम सिंह पुत्र सरूप सिंह
   1/7. कमला कंवर पुत्री सरूप सिंह
   1/8. प्रकाश कंवर पुत्री सरूप सिंह
2. लाख सिंह पुत्र कान सिंह जाति राव निवासी बुटडी, तहसील रेवद जिला सिरोही
   2/1. धरमी बाई बेवा पत्नी लाख सिंह जाति राव निवासी बुटडी तहसील रेवदर जिला सिरोही
   2/2 केसर सिंह पुत्र लाख सिंह जाति राव निवासी बुटडी, तहसील रेवदर जिला सिरोही
   2/3 दलपत सिंह पुत्र लाख सिंह जाति राव निवासी बुटडी तहसील रेवदर जिला सिरोही
   2/4. चन्दन कंवर पुत्री लाख सिंह जाति राव निवासी बुटडी तहसील रेवदर जिला सिरोही
   2/5. मथरा देवी पुत्री लाख सिंह जाति राव निवासी बुटडी तहसील रेवदर जिला सिरोही
   2/6. गीता देवी पुत्री लाख सिंह जाति राव निवासी बुटड़ी तहसील रेवदी जिला सिरोही
3. नाहर सिंह पुत्र कान सिंह जाति राव, निवासी बुटड़ी तहसील रेवदर जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. रमेश सिंह पुत्र मान सिंह जाति राव, निवासी बुटड़ी तहसील रेवदर जिला सिरोही
2. मान सिह पुत्र कान सिंह जाति राव निवासी बुटडी, तहसील रेवदर जिला सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2019 बअनवान रमेश सिंह बनाम सरूप सिंह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2021 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 23.07.2021 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2019 बअनवान रमेश सिंह बनाम सरूप सिंह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2021 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 23.07.2021 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद को स्वीकार कर फाईनल डिक्री जारी करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में सम्मन की तामिल अपीलांट को विधि अनुसार नहीं हुई है। दिनांक 19.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने की कोई सूचना अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई, जिससे अपीलांट दिनांक 19.10.2020 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने कृषि भूमि के विभाजन हेतु विधिवत कार्यवाही नहीं की है। तहसीलदार रेवदर द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये है। तहसीलदार रेवदर या अन्य कोई भी राजस्व अधिकारी विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रश्नगत कृषि भूमि पर उपस्थित नही हुये। तहसीलदार रेवदर ने अपीलांट को कोई भी नोटिस विभाजन के प्रस्ताव हेतु मौके पर ओन के नहीं दिये है। तहसील रेवदर का यह दायित्व है कि वह कृषि भूमि के विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व सभी खातेदारान को नोटिस प्रेषित कर उपस्थित होने हेतु तारीख व समय निश्चित करते, लेकिन तहसीलदार रेवदर विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर नहीं आये। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी करने का कोई निर्णय पारित नहीं किया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गोर नहीं किया अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन के प्रस्ताव पटवारी हल्का मकावल द्वारा तैयार किये गये है। उक्त प्रस्ताव तहसीलदार रेवदर द्वारा तैयार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत किया जाना विधि में आज्ञापक है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2021 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 23.07.2021 को निर्णित कर अन्तिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 22.09.2021 को होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर दिनांक 23.09.2021 को नकल हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करवाया। जिस पर अपीलांट को निर्णय व डिक्री एवं पत्रावली के अन्य कागजातो की प्रमाणित नकल दिनांक 24.09.2021 को प्राप्त हुई है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है। अतः निर्णय दिनांक से इसकी जानकारी अपीलांट प्रतिवादीगण को होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र संख्या 03/2019 में पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 11.02.2021 एवं अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 23.07.2021 के विरूद्ध सयुक्त रूप से हस्तगत अपील प्रस्तुत करते हुए हस्तगत एक ही अपील द्वारा दोनो डिक्रियो को प्रश्नगत किया गया है। प्रकरण में विधिक प्रश्न यह है कि क्या एक ही अपील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दो पृथक निर्णय व डिक्रियो से संबधित उज्र लाये जा सकते है? तथा क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दो डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील कानूनन प्रस्तुत की जा सकती हैं या नहीं? इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निम्नानुसार विधिक उपबंध है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

धारा 96 (1)– "वहां के सिवाय जहां इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई हैं, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि "एक डिक्री, एक अपील" का सिद्धांत सुस्थापित है तथा प्राथमिक व अंतिम डिक्री वस्तुतः दो भिन्न–भिन्न डिक्री है तथा दोनों की विषयवस्तु भिन्न–भिन्न होती हैं। अतः दोनों डिक्रियों की एकसाथ अपील कानूनन अनुमत, ग्राह्य व पोषणीय नहीं होती हैं।

धारा 97 –"Where any party aggrived by a prelimnary decree passed after the commencement of this code does not appeal from such decree he shall be preclued from its correctness in any appeal which may be prefered from the final decree." अतः स्पष्ट है कि प्राथमिक डिक्री से पीड़ित व असंतुष्ट होने की स्थिति में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अनुतोष अंतिम डिक्री के विरूद्ध की गई अपील में प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा प्राथमिक डिक्री की विषयवस्तु को अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

5. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की शुद्धता को भी प्रश्न किया गया है, तथा प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दोनों को प्रश्नगत करते हुए दोनों डिक्रियों को अपास्त करने की मांग की गई हैं। जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 (1) एवं धारा 97 कानूनन अनुमति नहीं देता है। अतः अपीलांट से अपेक्षा थी कि वह प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अतः हमारे विनम्र मत में हस्तगत अपील व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 (1) व धारा 97 से विधिक रूप से विवर्जित व बाधित होने से ग्राह्य व पोषणीय नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की 96 (1) व धारा 97 से विधिक रूप से विवर्जित व बाधित होने से ग्राह्य व पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर खारिज/अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली